संख्या-23/2023/001-464/60-1-2023

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 18 मई, 2023**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49/81/83 राजस्व पक्ष में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-37-38/म0क0निदे0/आय-व्ययक/2023-24, दिनांक 27.04.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत निर्धारित बजट प्रावधान रू0-293992.00 लाख (रूपये उनतीस अरब उनतालीस करोड बान्वे लाख मात्र) के सापेक्ष रू0-293936.00 लाख (रूपये उनतीस अरब उनतालीस करोड छत्तीस लाख मात्र), अनुदान संख्याश-81 के अन्तर्गत निर्धारित बजट प्रावधान रू0-1998.00 लाख (रूपये उन्नीस करोड अटठानवे लाख मात्र) के सापेक्ष रू0-1998.00 लाख (रूपये उन्नीस करोड अटठानवे लाख मात्र) तथा अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत निर्धारित बजट प्रावधान रू0-107322.00 लाख (रूपये दस अरब तिहत्तर करोड बाईस लाख मात्र) के सापेक्ष रू0-107322.00 लाख (रूपये दस अरब तिहत्तर करोड बाईस लाख मात्र) को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का निवर्तन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की अवधि में समस्त व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित प्राविधानों/उपबन्धों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार एवं समय-समय पर जारी मितव्ययता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

(5) विभिन्नत अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

(6) यह धनराशि अविलम्ब मुख्यालय/जनपद स्तरीय अधिकारियों के निवर्तन पर प्रस्तावित कार्य योजना के सापेक्ष वर्ष 2023-24 के व्यय/आहरण हेतु आवंटित की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021030700 (दहेजप्रथा से पीड़ित महिलाओ की सहायता)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021030700 दहेजप्रथा से पीड़ित महिलाओ की सहायता	20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021030800 (दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021030800 दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
	कुल			**4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021030900 (विधवाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरुस्कार)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021030900 विधवाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरुस्कार	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)
	कुल			**12,50,000 (रुपये बारह लाख पचास हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235021031501 (जिला योजना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021031501 जिला योजना	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	29,38,80,00,000 (रुपये उन्तीस अरब अड़तीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)
	कुल			**29,38,80,00,000 (रुपये उन्तीस अरब अड़तीस करोड़ अस्सी लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235027890600 (निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	083	2235027890600	20	10,73,22,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु अनुदान	सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	(रुपये दस अरब तिहत्तर करोड़ बाईस लाख मात्र)
	कुल			**10,73,22,00,000 (रुपये दस अरब तिहत्तर करोड़ बाईस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235027960300 (निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हेतु अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	081	2235027960300 निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हेतु अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	19,98,00,000 (रुपये उन्नीस करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र)
	कुल			**19,98,00,000 (रुपये उन्नीस करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2235028000400 (निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235028000400 निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
	कुल			**35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)**

महायोग	40,32,56,00,000 (रुपये चालीस अरब बत्तीस करोड़ छप्पन लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

4- सूच्य है कि आधार प्रमाणीकरण होने व योजना की पात्रता की शर्ते पूर्ण पायी जाने पर ही लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-369/60-1-23-1/13(72)/2006, दिनांक 24.04.2023 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के आलोक में ही लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का कष्टि करें ।

भवदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव

संख्या-23/2023/001-464/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।